

विज्ञापित

महात्मा गान्धी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र०-लखनऊ के पत्रांक मनरेगा/पत्रा०सं०-498/1426/2017 दिनांक 20 जून, 2017 द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 20 जून, 2013 में दी गयी व्यवस्थानुसार कम्प्यूटर आपरेटर की सेवाएं प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये है। प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश शासन-लखनऊ के शासनादेश संख्या 313/38-7-2010-04 विविध/09 टीसी दिनांक 13.01.2010 एवं शासनादेश संख्या 436/38-07-2010-10/एनआरईजीए/05 दिनांक 19.01.2010 के क्रम में महात्मा गान्धी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत अधिकतम एक वर्ष की संविदा पर फील्ड स्तर पर निम्न कार्मिकों की नियुक्ति हेतु निम्न विवरण के अनुसार पदों पर उल्लिखित अर्हताओं के अधीन चयन किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:-


क्र० सं०	पद	रिक्त पदों की संख्या					शैक्षिक योग्यता	01.01.2017 को आयु	मासिक मानदेय अधिकतम रू०में
		अनु० जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछडा वर्ग	अनारक्षित	योग			
1	कम्प्यूटर आपरेटर / डाटा इन्ट्री आपरेटर (विकास खण्ड हेतु)	01	0	01	01	03	ओ लेबल अथवा समकक्ष (ओ लेवल)	21 से 35 वर्ष	8000/-

**नियम एवं शर्तें:-**

- 1-आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक/व्यवसायिक अर्हताओं से सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति, पत्र व्यवहार हेतु एक लिफाफा, जिस पर सामान्य रजिस्ट्री हेतु रू० 25.00 का डाक टिकट लगा हो और अभ्यर्थी का पत्र व्यवहार का पता अंकित हो, संलग्न होना अनिवार्य है।
- 2-आवेदन पत्र केवल रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट डाक से दिनांक 14.08.2017 की सांय 5.00 बजे तक कार्यालय उपायुक्त श्रम रोजगार, मनरेगा प्रकोष्ठ प्रथम तल कक्ष संख्या 10 विकास भवन भिनगा, जनपद-श्रावस्ती के पते पर स्वीकार किए जायेंगे, उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से आवेदित पदनाम अंकित करें।
- 3-चयनित अभ्यर्थियों की सेवाएं अधिकतम एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर ली जायेगी। कार्य असन्तोषजनक पाये जाने पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा पर किसी भी समय आपकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है।
- 4-रिक्तियों/पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घट/बढ़ सकती है।
- 5-अनु०जाति/अनु०जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के आवेदक को नियमानुसार आयु सीमा में छूट अनुमन्य है।
- 6-राज्य सरकार के आरक्षण संबंधी नियम इस चयन पर लागू होंगे।
- 7-समस्त अधिकार नियोक्ता के पास सुरक्षित रहेंगे।
- 8-उपरोक्त चयन के फलस्वरूप ली जाने वाली सेवायें मा०उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 35284-35299/09 में पारित आदेश/निर्णय के अधीन होगी।
- 9-यदि किसी अभ्यर्थी के पास उपरोक्त पद हेतु अनुभव हो तो उल्लेख करें एवं अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
- 10-उपरोक्त समस्त पद पूर्णतः गैर सरकारी होंगे तथा केवल योजना अवधि में प्रदान की गयी सेवाओं पर आधारित होंगे। चयनित अभ्यर्थियों द्वारा भविष्य में सेवा सम्बन्धी कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
- 11-आवेदन का प्रारूप एवं घोषणा निम्नानुसार संलग्न है। उक्त विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जनपद की वेबसाइट WWW.shravasti.nic.in से भी प्राप्त किया जा सकता है।

**आवेदन पत्र का प्रारूप**

- 1 आवेदन हेतु पद का नाम:-.....
- 2 अभ्यर्थी का नाम :- .....
- 3 पिता/पति का नाम:-.....
- 4 जन्मतिथि (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार).....
- 5 आयु दिनांक 01.01.2017 को वर्ष.....माह.....दिन.....
- 6 पत्र व्यवहार का पता:-.....
- 7-स्थायी पता:-.....
- 8-मोबाइल नम्बर:-.....



9 शैक्षिक एवं व्यवसायिक अर्हताओं का कमवार विवरण प्रमाण-पत्रों सहित (स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें):-

क्र०सं०	परीक्षा का नाम	विश्वविद्यालय/बोर्ड का नाम	वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

- 10- जाति.....(आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करें)  
11- अनुभव (नियोक्ता का नाम, अवधि एवं परिलब्धियों के विवरण सहित).....  
12- राष्ट्रीयता.....

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

### घोषणा पत्र

1- मैं.....(अभ्यर्थी का नाम) एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने विज्ञप्ति की गयी पात्रता की सभी शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। वे मुझे मान्य हैं यह शर्तें पूरा करता हूँ/करती हूँ। इस आवेदन के दिये गये विवरण/सूचनायें सत्य हैं और मैंने अपने द्वारा दी गयी सूचनाओं में कोई तथ्य नहीं छिपाया है। यदि कोई विवरण/सूचना असत्य पायी जाती है या कोई तथ्य मेरे द्वारा छिपाया जाना पाया जाता है तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये। यदि मेरा चयन भी हो जाता है, तदोपरान्त ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी सेवायें समाप्त कर दी जायें। इसमें मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध पुलिस में कोई एफआईआर दर्ज नहीं है और न ही न्यायालय में कोई अभियोजन प्रचलित है। यदि मेरे विरुद्ध कोई ऐसा प्रकरण सामने आता है तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जाए।

दिनांक.....

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

जनपद.....

नोट :-अपूर्ण, अस्पष्ट, अप्रमाणित एवं उपरोक्त तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझे जायेंगे। आवेदन पत्र के साथ एक स्वयं का पत्र व्यवहार का पता लिखित लिफाफा (25 रू० डाक टिकट सहित) संलग्न करें। साक्षात्कार हेतु तिथि, समय व स्थान पृथक सूचित किया जायेगा।

जिला कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा/  
जिलाधिकारी,  
श्रावस्ती।